

विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। –महात्मा गांधी

क्या हिजाब के विवाद के निराकरण का कोर्ट के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी हो सकता है?

ऐ

सा प्रतीत हो रहा है कि हम हिन्दू-मुसलमान हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें गर्व या कि संविधान ने जहाँ देश को धर्मीय प्रेषण राज्य का दर्जा दिया, साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी दे दिया, किन्तु उसे लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहने दिया साथ ही धर्म के अवधारण पर से मानने, आधरण करने का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को दे दिया और धार्मिक आचरण (Religious Practice) को रोगेट करने के बाबत राज्य को अधिकार दिया। इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सुरक्षित कर दिया धार्मिक आचरण के बाबत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पांडे ने सन 1954 ही में यह निर्णय दिया कि ऐसी धार्मिक प्रेक्षित धर्म का मूल्य भाग होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में यही संदेश दिया है तथा अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की कि कोई धार्मिक अध्यासङ्गक जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा है उसे उनकी संरक्षण का मूल अधिकार होगा।

प्रत्यक्ष विवाद कर्नटक राज्य से है और हिजाब पहनने से संबंध रखता है। कर्नटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुसलमान कन्ना विद्यार्थियों पर हिजाब पहनने पर निषेध अदेश चर्चित है। राज्य ने हिजाब पर प्रतिबंध कुछ स्कूलों पर लगाया था। कर्नटक राज्य की ओर से दलिल दी गई है कि हिजाब का प्रश्न स्कूल यूनिफॉर्म के लिये नहीं है। सन 2021 से पूर्व हिजाब पर लगाया था।

सुरीम कोर्ट की खण्डपीठी के माननीय सदस्य जस्टिस धूलिया है। इस पीठ के समक्ष 23 पिटीशनस के बेच पर सुनवाई हो रही है। इस खण्डपीठ के समक्ष दो प्रकार के केसेज हैं। एक जो रिट पिटीशन से संबंध रखता है जिसमें मुस्लिम बालिका स्टूडेन्ट्स ने हिजाब पहनने के अपने अधिकार के हेतु कोर्ट से गुरुता की है। दूसरे जो केसेज है जो एसएलपी के हैं, इनमें कर्नटक हाईकोर्ट के 15.03.2022 के निर्णय दिया कि विशिष्ट संस्कृतों में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशनस के मूल अधिकार का अतिरिक्त नहीं है, जिसमें एडवोकेट एडवोकेट कपिल सिंहल, सीनियर एडवोकेट प्रशान्त भूषण, सीनियर एडवोकेट अदित्य सौंदर्य, राजीव धवन, हुजरा अहमदी आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टिंटर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एस्पी नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचर्च की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पी मूल ददगर है। सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में स्कूल सभी वर्कांसे पर पैरे होने चाहिये।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिंहल ने यह सुझाव दिया है जिस को संविधान पीठ को निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा दिलाया जाता है। एडवोकेट प्रशान्त भूषण की बहस है कि पिटीशनस के लिये यह बताना इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पी मूल ददगर है। सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में स्कूल सभी वर्कांसे पर पैरे होने चाहिये।

2021 से पूर्व तक हिजाब कोई विवाद था ही नहीं। ऐसी स्थिति (यदि यह सच है तो) उसे अपनाया जा सकता है तथा इस विवादास्पद प्रश्न को बिना फैसला किये आपसी सदभाव से सुलझाया जाना चाहिये।

आपसी सहमति से पिटीशन विद्दु की जा सकती है।

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Fraternity का Concept दिया है उसके विरुद्ध है। अहमदी की बहस भी कि खण्डपीठ की खण्डपीठ के बीच पर सुनवाई दी जाए। इनमें दिनांक 05.02.2022 जिससे विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान के बाबत विवाद नहीं है अपितु उसे बहस करना चाहिये।

दिनांक 20 सितम्बर 2022 को बहस का आठवां दिन था, उस दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहसीलों के समक्ष खण्डपीठ किया कि उक्त प्रश्न पर हाईकोर्ट के विचारक नहीं हैं। उन्होंने दिनांक 05.02.2022 के बाबत विवाद पर

प्रतिबंध लगाया के बाबत विवाद नहीं है अपितु उसे बहस करना चाहिये।

दिनांक 20 सितम्बर 2022 को बहस का आठवां दिन था, उस दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहसीलों के समक्ष खण्डपीठ किया कि उक्त प्रश्न पर हाईकोर्ट के विचारक नहीं हैं। उन्होंने दिनांक 05.02.2022 के बाबत विवाद पर

प्रतिबंध लगाया के बाबत विवाद नहीं है अपितु उसे बहस करना चाहिये।

दिनांक 20.09.2022 की दीवी की न्यूज में समाचार थे “ईरान में हिजाब के विरुद्ध हिंसक प्रश्न”। बहुत से इरानी यांगों द्वारा हिजाब के बाबत महिलाओं को बहस करना चाहिये।

उपरोक्त विवादों के मंधन से यह माना जा सकता है कि हिजाब धर्म के विविष्ट व अधिन्द्रिय अंग नहीं हैं न इनका संबंध धर्म के आधरण से है। यह भी बहस से स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि द्वेष कोड से हटकर इसे पहनना करने का आवश्यक है? सरकार की आज्ञा दिनांक 5.2.2022 से पूर्व कुछ एक स्कूलों में जी विश्वाति थी उक्त अनुसार केवल कुछ मुसलिम कन्ना विद्यार्थी स्कूल में बहस तक विवाद करना चाहिये। इसे हटकर इसे पहनना करने का आवश्यक है? अर्थात् भारत के बाबत विवाद की ओर से यह समझाया जाना चाहिये।

यह जी विश्वाति (यदि यह सच है तो) उक्त अनुसार करना है। यहाँ अनुच्छेद 29 के बाबत विवाद की ओर से यह समझाया जाना चाहिये। आपसी सहमति से विद्यार्थी की जा सकती है।

दूसरी मार्ग यह होना चाहिये कि हमेशा के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लाया जावे कि हमेशा का मामला, सबविमाला का तीन तलाक जैसे केस पुनः नहीं होने चाहिये। यह सत्यशाला का मामला है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के बाबत माना जाना चाहिये। आपसी सहमति से विद्यार्थी की जा सकती है।

उपरोक्त कथन कोटि में चल रही बहस पर आधारित है, अतः कोई भी यह नहीं बता सकता निर्णय व्यापार होगा? हमें प्रतीक्षा करनी होगी निर्णय की। निर्णय आपसी सहमति से हो वह सुवध कब आयेगी?

—अतिथि सम्पादक, प्रानांचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी शिविर में देश विदेश से कई नामचीन कलाकार भाग ले रहे

उदयपुर, (कास)। परिचय क्षेत्र सांकेतिक केन्द्र की ओर से ग्रामीण कला परिसर शिल्पग्राम में गुरुवार को ‘अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी कैम्प’ का दीप प्रज्ञवलन से शुभारंभ किया गया। कार्यवाहन से मुख्य अधिकारी आर.के. तिवारी, चेयरमन उत्तरार्देश रोडवेज एवं शिव सिंह सारांगदेवत, कुलपति, विवाहीष उपस्थित थे। शिविर में बांगलादेश, ईरान, ईजिप्ट तथा भारत के 42 कलाकार भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य अधिकारी द्वारा रचित पुस्तक नमन का विमोचन भी किया गया। यह ‘अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी कैम्प’ 26 सितम्बर तक चलेगा। जिसमें देश विदेश से कई नामचीन कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही शिल्पग्राम में ही 23 सितम्बर से लोगों के लिये कैलीग्राफी वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को कैलीग्राफी में कार्य करने की जानकारी दिये जाने के साथ सुधारताक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 23 सितम्बरवर को घूरल आर्ट कला प्रदर्शनी का विवरण अपनी गुप्ता कैलीग्राफी के लिये विदेश के लिये यहाँ आयोजित किया जाएगा।

उदयपुर के शिल्पग्राम में ‘अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी कैम्प’ की शुरूआत आर.के. तिवारी चेयरमैन उत्तरप्रदेश रोडवेज व एस.एस. सारांगदेवत कुलपति विद्यार्थी पर नीति विवाद का लेकर कला के लिये उन्मत्ति किया जाता है।

शैली की स्वर्ण की लिखाई को दियाजन करने के लिये यहाँ आज एक विवरण आयोजित है। यह विवरण के लिये उन्मत्ति द्वारा इस कला को लेकर नमूने भी प्रस्तुत किया जाएगा।

शैली की स्वर्ण की लिखाई को दियाजन करने के लिये यहाँ आज एक विवरण आयोजित है। यह विवरण के लिये उन्मत्ति द्वारा इस कला को लेकर नमूने भी प्रस्तुत किया जाएगा।

शैली की स्वर्ण की लिखाई को दियाजन करने के लिये यहाँ आज एक विवरण आयोजित है। यह विवरण के लिये उन्मत्ति द्वारा इस कला को लेकर नमूने भी प्रस्तुत किया जाएगा।

शैली की स्वर्ण की लिखाई को दियाजन करने के लिये यहाँ आज एक विवरण आयोजित है। यह विवरण के लिये उन्मत्ति द्वारा इस कला को लेकर नमूने भी प्रस्तुत किय

